

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज०)

प्रकरण संख्या 24/2017

जदलाल पाखाल  
 पुष्पराज पाखाल  
 विपरीत अर्थात्

बनाम

सुब्रह्मण्य जयदीन भागीरथ केलाश पिला  
 भागीरथ नारायण पिला अर्थात् अशुभलाल पिल

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए०

- आदेश :-

दिनांक 19/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री जदलाल पाखाल ने जरिये अभिभाषक श्री गिरधारीलाल काठ्याप ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम काठ्याप प०ह० काठ्याप तह० माण्डलगढ मे आराजीन० 296/297/1-300/1-2773/292 कुल कित्ता 4 रकबा 4 बीघा 9 वरकबा कित्ता 5 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए०क्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम काठ्याप की आराजी न० 296. 297/1 - 300/1 - 2773/292 - 391 कुल कित्ता 4 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा - की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 600/- /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एव पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 माण्डलगढ